Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Sociology
Research Link - 159, Vol - XVI (4), June - 2017, Page No. 63-65
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

ओशो की कल्याणकारी समाज की अवधारणा - 'कम्यून' का समाजशास्त्रीय विश्लेषण (ओशो ध्यान केन्द्र, भिलाई से सम्बंधित अनुयायियों के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र, ओशो की कल्याणकारी समाज की अवधारणा-'कम्यून' के समाजशास्त्रीय विश्लेषण से सम्बंधित है। ओशो उपयान ध्यान केन्द्र भिलाई में एक सावधिक ओशो कम्यून है, जहाँ ओशो अनुयायी ध्यान शिविरों के आयोजन, विशेष गतिविधियों आदि के समय एकत्रित होते हैं तथा ध्यान केन्द्र के समस्त कार्यों का संचालन एवं आर्थिक प्रबंधन सामुहिक रुप से स्वयं के वहन द्वारा किया जाता है। अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर के ओशो ध्यान केन्द्र से सम्बंधित 100 ओशो अनुयायियों में से 50 ओशो प्रेमियों का चुनाव दैव-निदर्शन के अंतर्गत लॉटरी प्रणाली द्वारा किया गया तथा निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साक्षात्कार अनुसूची द्वारा तथ्यों का संकलन किया गया है। साथ ही प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

स्नेह कुमार मेश्राम* एवं डॉ.ए.एन.शर्मा**

प्रस्तावना :

बीसवीं सदी के विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु ओशो के अनुसार कल्याणकारी समाज के निर्माण हेतु शिक्षा तंत्र में परिवर्तन करते हुए आध्यात्मिक शिक्षा को भी अन्य विषयों के साथ जोड़ते हुए शिक्षा का केन्द्र महत्वकांक्षा नहीं, बल्कि मानवता, करुणा–प्रेम, पारस्परिक सहयोग–सद्भाव बनाना होगा। कल्याणकारी समाज के निर्माण हेतु हमें जनसंख्या नियंत्रण करते हुए प्रातिक संतुलन पुनः स्थापित करने के विश्वव्यापी प्रयास करने होंगे।

ओशो ने कल्याणकारी समाज के निर्माण हेतु सभी राष्ट्रों, धर्मों, वर्गों, जातियों से परे छोटे–छोटे ''कम्यून'' के संगठन रुपी एक विश्व समाज की अवधारणा प्रस्तुत की। ओशो के अनुसार 'कम्यून' प्राकृतिक वातावरण के मध्य बसा ऐसा मानव समूह है, जिसमें व्यक्ति मानवता को परमधर्म मानते हुए समान सम्मान एवं सुविधाओं में निवास करते हैं तथा समाज के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास में अपनी प्रतिभा एवं क्षमता के अनुरुप संलग्न रहते हैं। ओशो के शिष्यों ने ऐसे ही कल्याणकारी कम्यूनों का निर्माण; ओशो इंटरनेशनल मेडीटेशन रिजार्ट पूणे भारत, रजनीशपूरम सिटी अमेरिका सहित संपूर्ण विश्व में किया। ओशो उपवन ध्यान केन्द्र भिलाई भी एक सावधिक ओशो कम्यून है, जहाँ ओशो अनुयायी ध्यान शिविरों के आयोजन, विशेष गतिविधियों इत्यादि के समय एकत्रित होते हैं तथा ध्यान केन्द्र के समस्त कार्यों का संचालन एवं आर्थिक प्रबंधन सामुहिक रुप से स्वयं के वहन द्वारा करते हैं।

उद्देश्य :

(1) ओशो अनुयायियों के अन्य व्यक्तियों से सामाजिक संबंधों की वस्तुस्थिति का अध्ययन करना।

(2) ओशो के कल्याणकारी समाज की अवधारणा; 'कम्यून' की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता एवं प्रासंगिकता का अध्ययन करना।

उपकल्पना :

(1) ओशो अनुयायियों के अन्य व्यक्तियों से सामाजिक संबंध संतोषजनक हैं।

(2) ओशो के कल्याणकारी समाज की अवधारणा; 'कम्यून' वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगी एवं प्रासंगिक है।

विषय का वर्णन :

वर्तमान समय में मानव समाज ने धन, पद, प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ व गलाघोट प्रतियोगिता को समाज में केन्द्रीय मूल्य के रूप में स्थापित कर दिया है तथा मानवीय मूल्यों प्रेम, करूणा, बंधुत्व तथा परम मूल्य–जीवन सत्य की खोज, स्वयं के अस्तित्वगत सत्य का अन्वेषण, ईश्वर की खोज, आत्मज्ञान एवं मोक्ष केवल किताबी बातें बनकर रह गई है। ओशो के अनुसार; धन–पद–प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ व गलाघोट प्रतियोगिता वास्तव में अपने अन्दर की रिक्तता, सारहीनता व अर्थहीनता को भरने का व्यक्ति के अहंकार का प्रयास है, जो बुनियादी रूप से गलत है। व्यक्ति जीवन भर धन–पद–प्रतिष्ठा के पीछे अपना जीवन नष्ट करता है और वह मृत्यु के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं पहुँचता है और अहंकार ही आत्मज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है।

ओशो के अनुसार समाज, वास्तविक अर्थो में मनुष्य के लिए तभी कल्याणकारी सिद्ध होगा, जब सभी वर्ग–भेद, जाति–भेद, राष्ट्र व धर्म भेद विलीन हो जाए तथा पूरी पृथ्वी एक मानवीय ईकाई की तरह रहे और मनुष्य के भीतर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने में उसकी हर संभव मदद करे। ऊँच–नीच की सारी

**शोधार्थी, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
***सहायक प्राध्यापक, इंदिरा गाँधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भिलाई (छत्तीसगढ़)*

विभाजनकारी रेखाएँ मिट जाएं। एक समृद्ध मानवीय समाज में एक इंजीनियर तथा एक कारपेंटर को समान सम्मान व सुविधाएँ प्राप्त हो, क्योंकि दोनों ही अपनी प्रतिभा से समाज को समृद्ध करने में योगदान दे रहे हैं तथा दोनों में से किसी के भी योगदान को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। समाज मनुष्यों को अपने अस्तित्वगत सत्य की खोज हेतु प्रेरित करे तथा सहायता प्रदान करे। ओशो के अनुसार व्यक्ति को किसी विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय से बंधे रहने और अनुयायी होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ओशो के अनुसार जिस तरह विज्ञान किसी संप्रदाय विशेष से न जुड़ा होकर सारी मानवता के लिए सर्व–सुलभ है, उसी प्रकार धर्म भी किन्हीं विशिष्ट संप्रदायों में बंटा न होकर सारी मानवता हेतु सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए।

ओशो की इसी 'वसुधैव कुटुम्बकम' की कल्याणकारी जीवन दृष्टि वाले 'समाज' के स्वरुप के दो प्रमुख प्रयोग निम्नलिखित है:

(1) ओशो आश्रम (ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजार्ट), पूणे, भारत :

सन् 1974 में ओशो संन्यासियों द्वारा प्रारंभ किया गया। यह वृहदतर आश्रम अब विश्व में ''ओशो इंटरनेशनल मेडीटेशन रिजार्ट'' के नाम से जाना जाता है, जहाँ 90 से अधिक देशों से ओशो संन्यासी, सत्य के खोजी, टूरिस्ट तथा कलाकार लगातार यहाँ आते रहते हैं। यह संपूर्ण विश्व में ध्यान–साधना पद्धतियों एवं मनोविश्लेषण, थैरेपी तथा आत्मविकास का सुंदरतम सबसे विशाल केन्द्र है। यहाँ संपूर्ण विश्व के विभिन्न राष्ट्रों, भाषाओं तथा संस्कृतियों के लोग एक साथ समस्वरता तथा मैत्री के प्रेमपूर्ण वातावरण में रहकर जीवन सत्य तथा आत्मविकास की वृहदतम साधना पद्धतियों से लाभान्वित होते हैं।

(2) रजनीशपुरम, ऑरेगॉन स्टेट, अमेरिका:

सन् 1981 में ओशो के 5 हजार विदेशी ओशो सन्यासियों ने अमेरिका के ऑरेगॉन स्टेट में 64 हजार एकड़ जमीन खरीदी तथा उन्होंने अपने अथक परिश्रम व नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर इस बंजर मरूस्थल भूमि को मरूधान में परिवर्तित कर दिया। यहाँ सन्यासियों ने स्वयं प्रतिदिन 16 घंटे मेहनत करके उच्चस्तरीय, भवनों, सब्जी फार्मो, तालाबों, वाटर फिल्टिरिंग सिस्टम, खेतों तथा एयरपोर्ट का निर्माण किया। धीरे–धीरे इस मरूस्थल की भूमि हरे–भरे मरूधान में परिवर्तित हो गई तथा दूर–दूर से पशु–पक्षी आकर्षित होकर यहाँ आने लगे।

ओशो सन्यासियों की प्रेम तथा उत्सवपूर्वक की गई कड़ी मेहनत रंग लाई तथा पूरे शहर का निर्माण हो गया, जिसे उन्होंने रजनीशपुरम (ओशो का वास्तविक नाम रजनीश चंद्रमोहन जैन था) नाम दिया। यहाँ सभी सन्यासियों को समान दर्जा व सुख–सुविधाएँ प्राप्त थी, चाहे वे कृषक हो या पायलट अथवा डॉक्टर। ओशो के अनुसार यह मानव सभ्यता के अपने पूरे इतिहास में अब तक का एक मात्र व पहला 'केन्द्रीय वातानुकूलित शहर' था। यहाँ मुद्रा की कोई चलन प्रवृत्ति नहीं थी, जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता होती, उसे वह आवश्यक मात्रा में मिल जाती थी तथा वह व्यक्ति अपनी प्रतिभा व योग्यता से अपना रूचिपूर्ण कार्य पूरी निष्ठा व प्रार्थना से कर अपना सहयोग प्रदान करता था।

अनुसंधान पद्धति :

उपरोक्त अध्ययन वर्णनात्मक शोध–प्रारुप के अर्न्तगत किया गया है। अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर के ओशो ध्यान केन्द्र से संबंधित 100 ओशो अनुयायियों में से 50 ओशो प्रेमियों का चुनाव दैव निदर्शन के अर्न्तगत लॉटरी प्रणाली द्वारा किया गया तथा साक्षात्कार अनुसूची द्वारा तथ्यों का संकलन किया गया है। साथ ही प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

तथ्य संकलन एवं विश्लेषण :

तथ्य संकलन छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर के ओशो ध्यान केन्द्र से संबंधित 100 ओशो अनुयायियों में से 50 ओशो प्रेमियों का चुनाव दैव निदर्शन के अर्न्तगत लॉटरी प्रणाली द्वारा किया गया तथा तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण :

निम्नलिखित तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई नगर के ओशो ध्यान केन्द्र से संबंधित ओशो अनुयायियों के ओशो की 'कम्यून' अवधारणा के अनुसरण से संबधित रूझानों का प्रदर्शन किया गया है :

क्र	विषय	पूर्णतः सहमत	सहमत	तटस्थ	असहमत	पूर्णतः असहमत
1.	जीवन में सामुदायिक भावना (हम की भावना) का विकास हुआ	24%	40%	48%	04%	00%
2.	स्वयं के प्रति पहले से अधिक उत्तरदायित्व महसूस करते हैं	44%	42%	10%	04%	00%
3.	अन्य व्यक्तियों से आपसी विद्वेश एवं वैमनस्य दूर हुए	20%	58%	10%	12%	00%
4.	'कम्यून' की अवधारणा को आप समाज के लिए आवश्यक मानते हैं	40%	60%	00%	00%	00%
5.	इससे समाज में जातिगत समस्याओं का समाधान संभव है	28%	32%	20%	20%	00%
6.	इससे समाज में धर्मगत समस्याओं का समाधान संभव है	40%	24%	30%	06%	00%
7.	इससे समाज में वर्गभेद संबंधी समस्याओं का समाधान संभव है	22%	50%	20%	08%	00%
8.	इससे समाज में राजनीतिक समस्याओं का समाधान संभव है	20%	28%	40%	12%	00%
9.	इससे समाज में आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव है	30%	38%	12%	20%	00%
10	इससे समाज में प्रशासनिक समस्याओं का समाधान संभव है	32%	40%	16%	12%	00%

शोध अध्ययन के पश्चात् प्राप्त विशिष्ट तथ्यों के संबंध में रुझान :

(1) 'कम्यून' अवधारणा के अनुसरण से सामाजिक संबंधों के प्रबंधन में सहयोग मिला : मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों का प्रबंधन आज के आनपाधापी व तनाव से भरे युग में

बहुत कठिन है, परंतु यह भी सत्य है कि सामाजिक संबंधों के बेहतर प्रबंधन में ही मनुष्य के सुखी जीवन का आधार है। ओशो की 'कम्यून' अवधारणा के अनुसरण से उत्तरदाताओं के सामाजिक संबंधों के प्रबंधन में सहयोग का विश्लेषण तालिका 1 में किया गया है।

तालिका 1 : 'कम्यून' अवधारणा सामाजिक संबंधों के प्रबंधन में सहयोगी

क्र.	रुझान	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पूर्णतः सहमत	12	24
2.	सहमत	20	40
3.	तटस्थ	15	30
4.	असहमत	03	06
5.	पूर्णतः असहमत	00	00
	कुल	**50**	**100.00**

तालिका 1 से स्पष्ट है कि ''ओशो की 'कम्यून' अवधारणा के अनुसरण से उत्तरदाताओं के सामाजिक संबंधों के प्रबंधन में सहयोगी है।'' 24 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से पूर्णतः सहमत हैं, 40 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं, 30 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य के प्रति तटस्थ है तथा 06 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से असहमत हैं। अतः कह सकते हैं कि ओशो की 'कम्यून' अवधारणा के अनुसरण से उत्तरदाताओं के सामाजिक संबंधों के प्रबंधन में सहयोगी है।

(2) 'कम्यून' अवधारणा के अनुसरण से समाज के प्रति पहले से अधिक उत्तरदायित्व महसूस करते हैं : ओशो के अनुसार, ''जितना तुम स्वयं के, दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व महसूस करो, उतना ही समझना कि तुम सही मार्ग में हो!'' अर्थात् व्यक्ति जितना समाज के प्रति उत्तरदायित्व महसूस करेगा समाज के सम्यक् विकास की उतनी ही संभावना है। ओशो की 'कम्यून' अवधारणा के अनुसरण से उत्तरदाता समाज के प्रति पहले से अधिक उत्तरदायित्व महसूस करते हैं, इस तथ्य का विश्लेषण तालिका 2 में किया गया है।

तालिका 2 : समाज के प्रति पहले से अधिक उत्तरदायित्व महसूस करते हैं

क्र.	रुझान	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पूर्णतः सहमत	21	42
2.	सहमत	15	30
3.	तटस्थ	10	20
4.	असहमत	04	08
5.	पूर्णतः असहमत	00	00
	कुल	**50**	**100.00**

तालिका 2 से स्पष्ट है कि ''ओशो की 'कम्यून' अवधारणा के अनुसरण से उत्तरदाता समाज के प्रति पहले से अधिक उत्तरदायित्व महसूस करते हैं!'' 42 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से पूर्णतः सहमत हैं, 30 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत हैं, 20 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य के प्रति तटस्थ है तथा 08 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से असहमत हैं। अतः कह सकते हैं कि ओशो की 'कम्यून' अवधारणा के अनुसरण से उत्तरदाता समाज के प्रति पहले से अधिक उत्तरदायित्व महसूस करते हैं।

निष्कर्ष :

(1) ओशो अनुयायियों के समाज में अन्य व्यक्तियों से सामाजिक संबंध संतोषजनक कहे जा सकते हैं।

(2) ओशो के कल्याणकारी समाज की अवधारणा; 'कम्यून' वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज हेतु उपयोगी एवं प्रासंगिक है।

संदर्भ :

(1) ज्ञानभेद स्वामी (2007) : एक फक्कड़ मसीहा–ओशो (भाग–3), डायमण्ड पॉकेट बुक्स प्रा.लि. नई दिल्ली, पृ. 228.

***(2)** ज्ञानभेद स्वामी, (2007) : एक फक्कड़ मसीहा–ओशो (भाग–3), डायमण्ड पॉकेट बुक्स प्रा,लि, नई दिल्ली, पृ. 249.*

***(3)** ज्ञानभेद स्वामी, (2005) : एक फक्कड़ मसीहा–ओशो (भाग–4), डायमण्ड पॉकेट बुक्स प्रा,लि, नई दिल्ली, पृ.104.*

***(4)** ज्ञानभेद स्वामी, (2005) : एक फक्कड़ मसीहा–ओशो (भाग–4), डायमण्ड पॉकेट बुक्स प्रा,लि, नई दिल्ली, पृ. 211.*

***(5)** ओशो, (1988) : महावीर वाणी, भाग–2 रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ.26–36.*

***(6)** ओशो, (1991) : ज्यों की त्यों धर दिन्ही चदरिया, रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ. 176–180.*

***(7)** ओशो (1992) : पद घुंघरू बांध, रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ. 10–37.*

***(8)** ओशो, (1997) : मृत्योर्मा अमृतं गमय, रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ. 34–45.*

***(9)** ओशो (1998) : प्रितम छबि नैनन बसि, रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ. 49–67.*

***(10)** ओशो (1998) : भक्ति सूत्र, रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ. 22–39.*

***(11)** ओशो (1999) : रहिमन धागा प्रेम का, रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ. 182–189.*

***(12)** ओशो (1999) : साधना पथ, रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ. 100–125.*

***(13)** ओशो (2000) : सुमिरन मेरा हरि करे, रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ. 18–23.*

***(14)** ओशो (2001) : दरिया झूठ सो झूठ है, रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ. 235–253.*

***(15)** ओशो : झरत दसहुं दिस मोती, रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ. 182–189.*

***(16)** ओशो (2003) : कोपले फिर फूट आई, रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ. 05–13.*

***(17)** ओशो (1996) : Zen Manifesto to Freedom from One-self, रेबल पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. पूणे, पृ. 23–56.*

***(18)** रोसियानो, अजीमा वी.(2001) : माई लाईफ विथ ओशो, नियोगी बुक्स प्रा. लि. नई दिल्ली, पृ. 130–176.*

***(19)** ओशो (1991) : एस धमो सनंतनो (भाग– 02), रेबल पब्लिशिंग हाऊस प्रा.लि. पूणे, पृ. 16–20.*

***(20)** लाखोटिया रविन्द्र, (2014) : पी. एम. पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 13–25.*

❁ ❁

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Sociology
Research Link - 159, Vol - XVI (4), June - 2017, Page No. 66-68
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

महिलाओं के संवैधानिक अधिकार और व्यावहारिक परिदृश्य

प्रस्तुत शोधपत्र में महिलाओं के साथ किए जाने वाले लिंग-भेद और उससे उत्पन्न समस्याओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया गया है। लिंग-भेद को हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और विभिन्न सामाजिक विधानों की उपयोगिता और प्रभावशीलता का महिलाओं के संदर्भ में सूक्ष्म, गहन विश्लेषण कर यह जानने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न संवैधानिक उपबंध और सामाजिक विधान महिलाओं के शोषण, दमन, लिंगभेद और असमानता के विरुद्ध कितने कारगर सिद्ध हुए हैं। *कुँजी शब्द : सामाजिक विधान, समानता, लिंग-भेद, नारी सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक, न्याय, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य।*

वसुदेव सिंह जादौन

प्रसिद्ध विचारक और समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने ''विश्व की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं को वर्गहीन कह कर संबोधित किया है।'' उनका इशारा महिलाओं के साथ लिंग–भेद के कारण उत्पन्न उत्पीड़न, शोषण और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता से है। महिलाओं के दमन, शोषण और भेदभाव के निराकरण हेतु 'सिमोन डी बूवा' ने आपकी पुस्तक 'सेकेण्ड सैक्स' में नारीवाद को प्रभावी हथियार माना है। भारत के संविधान में लिंगभेद को समाप्त कर महिलाओं के साथ सम्मान जनक व्यवहार तथा समानता के मूल्य को शामिल किया गया है। इसके लिए समय–समय पर संविधान को संशोधित भी किया गया है। जिससे कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और मानव अधिकारों की रक्षा की जा सके और महिलाओं के दमन, शोषण, तथा लिंगभेद जैसी दुष्प्रवृत्तियों पर नकेल कसी जा सके।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 में देश के प्रत्येक नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार महिला–पुरूष दोनों को समान रूप से दिया गया है। शारीरिक और मानसिक तौर पर स्त्री–पुरूष में किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक माना गया है। हालांकि आवश्यकता महसूस होने पर महिलाओ और पुरूषों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अनुच्छेद –15 मे यह प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्रता समानता और न्याय के साथ–साथ महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षण का काम भी सरकार का कर्तव्य है। बिहार में लड़कियों के लिए साईकिल और पोषक की योजना, मध्यप्रदेश में लड़कियों के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रतिभा किरण योजना, गाँव की बेटी योजना, सौभाग्यवती योजना और दिल्ली में मेट्रो में महिलाओं के लिए रिजर्व कोच की व्यवस्था आदि करना, इसके उदाहरण है।

अनुच्छेद–19 में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि वह देश के किसी भी हिस्से मे नागरिकों की हैसियत से स्वतंत्रता के साथ आ–जा सकती है, रह सकती है। व्यवसाय का चुनाव भी स्वतंत्र रूप कर सकती है। महिला होने के कारण कोई भी कार्य करने के लिए उनको मना करना उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा ओर ऐसा होने पर वे कानून की मदद ले सकती हैं।

अनुच्छेद–23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रावधान है जो कि स्त्री की गरिमा की रक्षा करते हुए उनको शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है। महिलाओं की खरीद–बिक्री, वेश्यावृति के धंधे में जबरदस्ती लाना, भीख मांगने पर मजबूर करना आदि दण्डनीय अपराध है। ऐसा कराने वाले के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। संसद ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 पारित किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361, 363, 366, 370, 372, 373 के अनुसार ऐसे अपराधों में सात साल से लेकर 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अनुच्छेद 24 के अुनसार 14 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों से काम करवाना बाल–अपराध है।

घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम – 2005 :

घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम, 2005 जिसके तहत वे सभी महिलाएँ जिनके साथ किसी भी तरह घरेलू हिंसा की है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वे सभी पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज करा सकती हैं और पुलिसकर्मी बिना समय गवायें प्रतिक्रिया करेंगें।

दहेज निवारक अधिनियम – 1961 :

दहेज लेना ही नहीं, देना भी अपराध है। अगर वधू पक्ष के

अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय महाविद्यालय, अटेर, भिंड (मध्यप्रदेश)

लोग दहेज लेने के आरोप में वर पक्ष को कानूनी सजा दिलवा सकते हैं, तो वर पक्ष भी इस कानून के ही तहत वधू पक्ष को दहेज देने के जुर्म में सजा करवा सकता है। 1961 से लागू इस कानून के तहत वधू को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना भी संगीन जुर्म है। वर्तमान में दहेज निरोधक अधिनियम को संशोधित कर और अधिक कठोर बना दिया गया है।

नौकरी/स्वरोजगार का अधिकार :

संविधान के अनुच्छेद–16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता के तहत स्पष्ट शब्दो में उल्लेख है कि प्रत्येक वयस्क लड़की या महिला को कामकाज के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार पुरूषों के बराबर हैं। केवल महिला होने के नाते रोजगार से वंचित करना, किसी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करना लैगिक भेदभाव माना जाएगा।

राजनीतिक अधिकार :

प्रत्येक महिला व वयस्क लड़की को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करन और स्व–विवेक के आधार वोट देने का अधिकार है। कोई भी महिला संविधान सम्मत योग्यता रखने पर किसी भी तरह के चुनाव में उम्मीदवारी कर सकती है।

समानता के अधिकार की वास्तविकता :

वर्ष 2011 की जनगणना के तथा एक मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब थी, जिसमें कुल जनसंख्या का 48.5 प्रतिशत महिलाएँ थी। विविधता हमारे देश की ताकत है, फिर भी देश के भीतर विविधतापूर्ण सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ और अलग–अलग भौगोलिक स्थितियाँ नीति–निर्माताओं के समक्ष लगातार चुनौतियाँ पेश करती हैं।

महिलाओं के प्रति सम्मान भारतीय सभ्यता की प्राचीन परम्परा रही है और अब इन्हें युवा और विविधतापूर्ण आधुनिक भारत के संविधान तथा विधियों में प्रतिष्ठापित किया गया है। महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है और किया जा रहा है। भारतीय महिला जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत उन गिन–चुने देशो में से एक है, जहाँ महिलाएँ राज्य के और सरकार के शीर्षस्थ पदो पर विराजमान रही हैं। तथापि, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण सहित अनेक चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की हाल की राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय घटनाओं ने हमारा ध्यान खींचा। ऐसी घटनाएँ हर तरह से निदनीय हैं और एक सभ्य समाज में इनके लिए कोई स्थान नहीं है।

शिक्षा, खान–पान, रहन–सहन और उन्मुक्त जीवनशैली के आधार पर भले ही हम यह कहें कि शहरी इलाकों में महिलाओं की स्थिति सुधरी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति कमोवेश वैसी ही है। इक्कीसवीं सदी में भी महिलाएँ हाशिये पर हैं। पुरूषों की तुलना में महिलाओं को भी बराबरी का हक मिला है, लेकिन ये हक ज्यादातर संविधान एवं कानून की किताबों में ही सिमटकर रह गया है।

कार्य स्थलों पर सुरक्षा संबंधी कानून : मुख्यतः विशाखा गाइड लाइन्स – कार्यस्थल पर महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध, और निवारण, कानून बनाकर एक और कदम उठाया है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए उपबंध किए गए हैं। यह अधिनियम कार्यबल के साथ अधिक से अधिक महिलाओं के जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। यह अधिनियम संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में कार्यरत महिलाओं के लिए है और यह उनकी शिकायतों तथा चिंताओं का समाधान करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति तथा स्थानीय समिति के रूप में एक निवारण कार्यतंत्र स्थापित करता है।

एसिड हमला, यौन उत्पीड़न, महिला के कपड़े उतरवाना, छुपकर पीछा करना, नग्न घुमाना जैसे विशिष्ट अपराधों को भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया है। यही नहीं, बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाकर इसमें मौत हमले को भी शामिल किया गया है। अति निकृष्ट बलात्कार के प्रावधानों को विस्तारित करके इसमे रूतबेदार व्यक्तियों द्वारा किए गए, सशस्त्र बलों के किसी सदस्य द्वारा किए गए बलात्कार, सामुदायिक अथवा साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान किए गए अथवा सहमति देने मे असमर्थ महिला के साथ किए गए बलात्कार को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त गैंग रेप तथा पीड़ित को निष्क्रिय अवस्था में पहुँचा देने वाली गंभीर क्षति पहुँचाने वाले बलात्कार के लिए शारीरिक दंड सहित अधिक दंड का प्रावधान किया गया है। इन संशोधनों से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से जुड़े दण्डों को और अधिक कठोर बना दिया गया है।

इस संशोधन में एसिड हमले, महिला के शील भंग और बलात्कार के तहत अपराधों के संबंध में किसी लोग सेवक को कोई सूचना दिए जाने पर यदि वह सूचना दर्ज नहीं करता है, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। सरकारी अथवा निजी अस्पतालों के लिए यह आदेश दिया गया है कि वे एसिड हमले सहित यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा अथवा उपचार प्रदान कराएँगे।

आर्थिक स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान :

अर्थव्यवस्था में महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की महत्ता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने विभिन्न नीतियाँ, योजनाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 27 योजनाएँ और कार्यक्रम हैं। उदा. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम की योजनाएँ, कार्यक्रमों को सहायता की योजनाएँ आदि।

संपत्ति का अधिकार :

वह भी पिता द्वारा बेटी को उसे भाई और माँ को नजरअंदाज कर संपत्ति का वारिस और मालिक घोषित करना साहसिक फैसला है। यह मामला उतराधिकार के कानून में संपति के बटवारे से इतर किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अर्जित संपति को हस्तांतरित करने के अधिकार को भी स्पष्ट व्याख्या करता है, खासकर सोसाइटी एक्ट के तहत एक पिता अपनी शादीशुदा बेटी को पत्नी और बेटे को नजरअंदाज कर मकान का मालिकाना हक अपने जीते जी सौंप सकता है।

अदालत ने कोलकाता की पक्षकार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की उस दलील को भी अस्वीकार कर दिया था कि पिता ने बेटी को फ्लैट के मालिकाना हक में जिम्मेदारी या वारिसों की सूची में शामिल नहीं किया था। दरअसल प्रतिवादी पक्षकारों पत्नी और हाउसिंग सोसाइटी का सोसाईटी एक्ट के हवाले दावा था कि संपति के मालिक ने मकान के अंशधारकों और वारिस की सूची में पत्नी और बेटे को शामिल किया था। इसलिए वसीयत या किसी अन्य माध्यम से संपति मालिक पत्नी और बेटे के बजाय बेटी को मकान का उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है।

अल्पसंख्यक समाज में महिलाओं की स्थिति :

अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय कही जा सकती है। वैवाहिक मामले ही देखें तो केवल तीन बार तलाक शब्द बोल देने से ही शादी टूट जाती है, जबकि पुरूष एक से अधिक विवाह करने के लिए स्वच्छंद है। यह बात और है कि हाल के महीनों में ट्रिपल तलाक के मसले पर मुस्लिम समाज बंटता नजर आ रहा है। हमेशा से दबाकर रखी गई मुस्लिम महिलाओं में भी अपने अधिकारों के प्रति नवचेतना जागृत हुई है और कुछ ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर इन अधिकारों की रक्षा की गुहार लगाई। जहाँ एक महिला ने ट्रिपल तलाक की परंपरा की कानूनी वैधता को चुनौती दी है, वहीं जयपुर निवासी महिला ने डाक के जरिये उसे भेजे गए तलाक का मुद्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट एक साथ ऐसे ही कई मामलों की सुनवाई कर रही है।

ट्रिपल तलाक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट की तकरार के बाद मुस्लिम समाज बंटता नजर आ रहा है। उलेमा और अल्संख्यक संगठन इसके समर्थन में है, तो महिलाएँ इसे पक्षपातपूर्ण मानती हैं।

ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्या महज तीन बार तलाक शब्द के उच्चारण के साथ ही जीवनभर का बंधन टूट जाता है। क्या मुस्लिम समाज में महिलाओं का दर्जा दोयम है? शायद इसीलिए पुरूष को तो मनमानी का अधिकार है और महिलाओं का जीवन और भविष्य उनकी जुबान से तीन बार निकलने वाले इस कड़वे शब्द पर ही निर्भर है। जब सउदी अरब और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों में इस पर पाबंदी लगा दी गई है, तो भारत जैसे धर्मनिपेक्ष देश मे इसे जारी रखना की क्या तुक है?

निष्कर्ष :

भारतीय विद्धानों ने नारी को शक्ति का स्वरूप और पूज्यनीय माना है, किन्तु उत्तरवैदिक काल से वर्तमान तक नारियों का कम या अधिक मात्रा में शोषण और दमन कर उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में मूल अधिकारों के माध्यम से महिलाओं को कानूनी और संवैधानिक अधिकार प्रदान किए हैं। मूल कर्तव्यों के माध्यम से नागरिकों से नारियों के प्रति सम्मानजनक आचरण की अपेक्षा की गई है। नीति–निर्देशक तत्वों के द्वारा नारियों का कल्याण और हितपोषण राज्य का प्रमुख दायित्व है, इसके अलावा संघीय विधायिका द्वारा नारियों के हित संरक्षण हेतु विभिन्न सामाजिक विधानों को निर्मित और संशोधित कर महिलाओं के अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया है, जिसमें 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में महिलाओं के हितों को तभी संरक्षित किया जा सकता है, जबकि समाज में सामाजिक मूल्यों और नैतिकता के द्वारा महिलाओं के प्रति संवेदनशील और सम्मान जनक आचरण को प्रोत्साहित किया जाए, तभी नारी को अबला से सबला रूपी नारी में परिवर्तित किया जा सकता है।

संदर्भ :

(1) योजना, नारी सशक्तीकरण, सितम्बर–2016, अंक–09, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

***(2)** योजना, समावेशी लोकतंत्र, अगस्त–2013, अंक–08, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।*

***(3)** कुरूक्षेत्र, ग्रामीण महिला सशक्तीकरण, अगस्त 2013, अंक–10, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।*

***(4)** गुप्ता, एम.एल और शर्मा, डी.डी. (2009) : भारतीय समाज, साहित्य भवन, आगरा, पृ. 336–337.*

***(5)** बसु, डॉ. दुर्गादास (2016) : भारत का संविधान : एक परिचय, नेक्सिस प्रकाशन, गुरूग्राम, हरियाणा।*

***(6)** एम. लक्ष्मीकांत (2017) : भारत की राज्यव्यवस्था, मैकग्राहिल पब्लिकेशन, चेन्नई, पंचम संस्करण।*

❁ ❁